

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

No.E(P&A)I-93/PS-5/PE-7


New Delhi, Date: 8.8.94.

The General Manager,
All Indian Railways including
DLW, CLW, DCW and The Director
General, RDSO, Lucknow.

Sub: Pay Scales of Lab. Asstts. working
in Railway Schools.

The issue regarding grant of Senior/Selection Grade to the Lab. Asstts. in the revised pay structure recommended by the Chattopadhyaya Commission for teachers etc has been examined in consultation with Department of Education who have clarified that Lab. Asstts. are not eligible for the three tier pay structure i.e. Basic/Senior/Selection Grade recommended by Chattopadhyaya Commission as they cannot be treated at par with teachers since the educational qualifications prescribed for them are neither the same nor comparable as for teaching posts. Therefore, the scales of pay notified vide this Ministry's letter No.E(P&A)I-84/PS-5/PE-1 dated 21.1.84 would remain in vogue for Lab. Asstts.

2. This disposes Western Railway's letter No.E(SCH) 1001/Senior Grade/ Selection Grade-II dated 27.1.94 and 1.6.94 and CLW's letter No.GMA/School/G/108 Pt.II dated 29.3.94.


(A.C. BAKSHI)
DIRECTOR, ESTT. (P&A)
RAILWAY BOARD.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय ॥रेलवे बोर्ड॥

सं. ई ॥पी एंड ए॥ 1-93/पी.एस. 5/पी.ई. 7 नई दिल्ली, दि 8.8.94


महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें तथा अन्य.

विषय:- रेलवे स्कूलों में कार्यरत प्रयोगशाला सहायकों का वेतनमान.

-x-

शिक्षक आदि के लिए गठित चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा सिफारिश किए गये संगो धित वेतन संरचना में प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठ/प्रवरण ग्रेड प्रदान करने से संबंधित मामले पर शिक्षा विभाग के परामर्श से विचार किया गया है जिन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला सहायक चट्टोपाध्याय आयोग द्वारा संस्तुत तीन टियर वाले वेतन संरचना अर्थात् मूल/वरिष्ठ/प्रवरण ग्रेड के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें शिक्षकों के समकक्ष नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनके लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता न तो शिक्षक वर्ग के पदों के समान है और न ही उनके बराबर है. अतः प्रयोगशाला सहायकों के लिए इस मंत्रालय के 21.1.84 का पत्र सं. ई॥पी एंड ए॥ 1-84/पी.एस. 5/पी.ई. 1 द्वारा अधिसूचित वेतनमान वही रहेगा.

2. इससे पश्चिम रेलवे के 27.1.94 तथा 1.6.94 के पत्र सं. ई॥एस. सी. एच॥ 1001/सी.नियर ग्रेड/सिलेक्शन ग्रेड 11 तथा चि. रे. का. के 29.3.94 के पत्र सं. जी. एम. ए./स्कूल/जी/108 पार्ट 11 का निपटारा हो जाता है.


॥ ए. सी. बक्षी ॥
निदेशक, स्था. ॥वे. एवं भ. ॥
रेलवे बोर्ड.